कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के सापेक्ष बजट एवं ***चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ)*** की सिफ़ारिशों एवं सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की संरचनात्मक रूपरेखा के आंकलन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों और विभिन्न स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना पर आधारित, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध कराता है।

अध्याय-1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2017 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह मुख्य राजकोषीय समग्रों, वचनबद्ध व्ययों, ऋणपद्धति इत्यादि की प्रवृत्तियों और रूपरेखाओं पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-2 विनियोग लेखे पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान-वार विवरण एवं वह ढंग, जिस प्रकार सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को प्रबन्धित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय-3 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण का विवरण प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

राज्य ने वर्ष 2012-13 में ₹ 1,787 करोड़ एवं वर्ष 2013-14 में ₹ 1,105 करोड़ राजस्व आधिक्य का अनुभव किया। तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य राजस्व आधिक्य को नहीं बनाए रख सका एवं ₹ 917 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुभव किया जो कि वर्ष 2015-16 के दौरान **₹** 1,852 करोड़ तक और गिर गया। तथापि, राज्य राजस्व घाटे को ₹ 383 करोड़ तक कम करने में सक्षम रहा जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और उत्तराखण्ड सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशक द्वारा अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) का 0.20 *प्रतिशत* था।

वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 1.22 *प्रतिशत* था और यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन (एफ आर बी एम) (संशोधित) एक्ट 2011 में निर्धारित मानक 3.50 *प्रतिशत* लक्ष्य से कम था। तथापि, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटा

बढ़ा और यह क्रमश: ₹ 2,650 करोड़ एवं ₹ 5,826 करोड़ था। यह पुनः वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 6,125 करोड़ तक बढ़ा और स रा घ उ का 3.48 *प्रतिशत* था। तथापि, चालू वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 5,467 करोड़ (2.80 *प्रतिशत*) रहा जो *चौ वि आ* द्वारा निर्धारित लक्ष्य स रा घ उ का 3.25 *प्रतिशत* से काफी कम था।

वर्ष 2012-13 के दौरान प्राथमिक आधिक्य (₹ 489 करोड़) वर्ष 2013-14 में प्राथमिक घाटे में बदल गया तथा चालू वर्ष तक घाटा ही बना रहा। तथापि, 2015-16 के दौरान ₹ 3,154 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2016-17 के दौरान ₹ 1,744 करोड़ तक कम हो गया।

31 मार्च 2017 को उत्तराखण्ड सरकार का संवैधानिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था और विगत पाँच वर्षों के निवेश के 0.004 से 0.49 *प्रतिशत* की सीमा में था जबकि सरकार ने 2012-13 से 2016-17 के दौरान अपनी उधारियों पर 8.18 *प्रतिशत* की औसत ब्याज दर से भुगतान किया।

राजकोषीय उत्तरदायित्व का स रा घ उ से अनुपात जो 2015-16 में 22.18 *प्रतिशत* था चालू वर्ष के दौरान 22.84 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। 22.84 *प्रतिशत* पर, राजकोषीय उत्तरदायित्व (कुल देय ऋण) का स रा घ उ से अनुपात उत्तराखण्ड के संदर्भ में 2016-17 के लिए *चौ वि आ* द्वारा तय लक्ष्य (22.64 *प्रतिशत*) से थोड़ा बढ़ा हुआ था।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2016-17 के दौरान तीन अनुदानों (अनुदान सं 17-कृषि, निर्माण एवं अनुसंधान; अनुदान सं 25-खाद्य एवं अनुदान सं 29-उद्यान विकास) तथा एक विनियोग (विनियोग सं 02-राज्यपाल) में ₹ 5,457.33 करोड़ का आधिक्य था, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमित किया जाना आवश्यक था।

मार्च 2017 माह के दौरान राज्य सरकार द्वारा आहरित धनराशि ₹ 537.84 करोड़ को बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचाने के लिये जमाशीर्ष में जमा कर दिया गया।

आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 290.84 करोड़ की धनराशि, 2015-16 के दौरान (₹ 63.14 करोड़) एवं 2016-17 के दौरान (₹ 227.70 करोड़) की प्रतिपूर्ति अगस्त 2017 तक नही हुई थी।

वर्ष 2005-06 से 2015-16 तक से सम्बन्धित आधिक्य व्यय ₹ 15,323.44 करोड़ को अभी तक राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमित किया जाना शेष था।

अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

विभागीय अधिकारियों द्वारा मार्च 2017 तक विशिष्ट उद्देश्यों के लिये दिये गये ₹ 327.35 करोड़ के अनुदान से सम्बन्धित 224 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया था। उक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि प्राप्तकर्ता ने अनुदानों का उपभोग अभिप्रेत उद्देश्यों के लिये कर लिया था। विभागीय प्रमुखों द्वारा उन निकायों और प्राधिकरणों, जिन्हे पूर्व वर्ष में कुल ₹ 10 लाख या इससे अधिक के ऋण अथवा अनुदान दिये गये थे, के विवरण (अ) सहायता राशि (ब) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गयी थी एवं (स) निकाय और प्राधिकरण के कुल खर्चे को दर्शाते हुए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नही किये जा रहे थे। इस प्रकार संस्थान, जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जा सकती है, को यथायोग्य चिन्हित नही किया जा पा रहा था।

प्राप्ति व व्यय की पर्याप्त धनराशि को उपयुक्त लघुशीर्ष में दर्शानें की बजाय लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' और '800-अन्य प्राप्तियाँ में दर्शाया गया था। इसने वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता को विपरीत रूप से प्रभावित किया।